

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला - राँची।

केस का प्रकार- जमाबंदी निरस्तीकरण अभिलेख वाद सं० 20/2021-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित
30/9/21	<p>आवेदक प्रहलाद नारायण पाण्डेय वो ध्रुव नारायण पाण्डेय एवं जितेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता- स्व० बिलास नारायण पाण्डेय, पता- बी-1/256 अस्सी घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, के लिखित आवेदन पर मौजा- गोबरहप्पा, थाना संख्या- 40, खाता संख्या 02 प्लॉट संख्या क्रमशः 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 एवं 123 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि का जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अवैध रूप से ऑनलाईन में कालीराम सिंह पिता पाचु सिंह का नाम दर्ज दिखाया जा रहा है। जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि हमारे पूर्वजों की है। अतः ऑनलाईन पंजी 11 में दर्शाये गये जाँचोपरान्त रद्द करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, काँक, राँची। 30/9/21</p>	
3/3/22	<p>अभिलेख उपस्थापित प्रथम पक्ष उपस्थित एवं द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। सुनवाई हेतु द्वितीय नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, काँक, राँची। 3/3/22</p>	
5/3/22	<p>उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष ने अपना लिखित पक्ष रखा। इस कार्यालय के पत्रांक 271(ii) दिनांक 05-03-2022 द्वारा अपर नगर आयुक्त, प्रभारी अधिकारी रेकड विभाग, नगर निगम वाराणसी, को मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु भेजे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, काँक, राँची। 5/3/22</p>	
12/3/22	<p>उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित पक्ष समर्पित किया गया। द्वितीय पक्ष ने समय की माँग की।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, काँक, राँची। 12/3/22</p>	

182
राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन तथा अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गोबरहप्पा थाना संख्या 40 के अन्तर्गत खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बेटखेता नाम लगान पानेवाला श्रीराम लक्ष्मण जानकी श्री मुनाजीमकार दुर्गा प्रसाद वगैरह खेवट संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

राजस्व पंजी 11 के अनुसार :- राजस्व पंजी 11 के अनुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी निम्न रैयतों के नाम से संघारित है :-

1. काँके अंचल कार्यालय के अन्तर्गत मौजा गोबरहप्पा हल्का संख्या VII के अन्तर्गत अवस्थित है। मौजा गोबरहप्पा के खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि पंजी 11 के भाग संख्या 1 के पेज संख्या 170 में कालीराम सिंह पिता पाचु सिंह के नाम से दर्ज है एवं पंजी 11 के कैफियत कॉलम में दाखिल खारिज केश नं० दर्ज नहीं है।

2. आवेदित खाता संख्या 2 के संबंध में कोई नामांतरण नहीं हुआ है।

3. मौजा गोबरहप्पा के पंजी 11 के भाग संख्या 1 के पेज संख्या 170 में रसीद संख्या 0338648 दिनांक 08.03.2004 वर्ष 2003-04 एवं रसीद संख्या 319673 दिनांक 16.09.2006 वर्ष 2006-07 को निर्गत है। रजिस्टर IIIA वर्ष 2006-07 से मिलान किया जिसमें रसीद संख्या 319673 दिनांक 16.09.2006 को निर्गत है। मौजा उलातु के सुखनाथ साहु वगैरह के नाम से निर्गत है एवं रसीद संख्या 0338648 वर्ष 2003-04 दिनांक 08.03.2004 भण्डार पंजी से मिलान नहीं हो पाया। उक्त के आलोक में प्रहलाद नारायण पाण्डेय व ध्रुव नारायण पाण्डे एवं जितेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। जिसका केश नं० 125/21 दिनांक 06.10.2021 है।

4. पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, काँके थाना राँची को इस कार्यालय के पत्रांक 61 दिनांक 27.01.2021 को काण्ड के अनुसंधान हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी दी गई।

5. मौजा गोबरहप्पा के राजस्व पंजी 11 के भाग संख्या 1 पेज संख्या 112 में रामेश्वर बैठा पिता मोहन बैठा के नाम से खाता संख्या 2 प्लॉट संख्या 114 रकबा 15 डीसमील भूमि दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या- 3328R27/08-09 दर्ज है।

6. मौजा गोबरहप्पा के राजस्व पंजी 11 के भाग संख्या 1 पेज संख्या 122 में भोलानाथ महतो वगैरह पिता स्व० शिवलाल महतो के नाम से खाता संख्या 2 प्लॉट संख्या 111 रकबा 10.5 डीसमील भूमि दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 551R27/2009-10 दर्ज है।

7. मौजा गोबरहप्पा के राजस्व पंजी 11 के भाग संख्या 1 पेज संख्या 170 में कालीराम सिंह पिता पाचु सिंह के नाम से खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में जमाबंदी कायम होने का कोई आधार दर्ज नहीं है। जिससे यह जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत

होता है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आवेदक के दादा अधबटाई में खेती करवाते थे एवं अनाज ले जाया करते थे। उनके मृत्यु के उपरान्त तीनों भाई उक्त जमीन पर काबीज हैं।

अपर नगर आयुक्त बनारसी के पत्रांक 04/अ०न०आ०/2023 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि श्री काली प्रसाद वल्द बिन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय की मृत्यु 26.07.1941 में ही हो गई है, तो किस परिस्थिति में मृत व्यक्ति के द्वारा वर्ष 1945 में आवेदित भूमि को बिक्री कर दी गई है, जो नियमतः गलत है।

उपरोक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा पंजी II के भाग संख्या 1, पृष्ठ संख्या 170 में कायम काली सिंह पिता स्व० पाचु सिंह के नाम से खाता संख्या- 2 प्लॉट संख्या क्रमशः 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 एवं 123 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि का जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में काली राम सिंह पिता पाचु सिंह के नाम से संधारित जमाबंदी को निरस्त/रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
कोक, राँची।
6/10/22

अंचल अधिकारी,
कोक, राँची।
6/10/22

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

काँके, राँची।

विषय :- मौजा गोबरहप्पा के खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजात का अवलोकन किया। मौजा गोबरहप्पा थाना संख्या 40 के अन्तर्गत खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बेटखेता नाम लगान पानेवाला श्रीराम लक्ष्मण जानकी श्री मुनाजीमकार दुर्गा प्रसाद वगैरह खेवट संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

राजस्व पंजी II के अनुसार :- राजस्व पंजी II के अनुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी निम्न रैयतों के नाम से संधारित है :-

1. काँके अंचल कार्यालय के अन्तर्गत मौजा गोबरहप्पा हल्का संख्या 'VII के अन्तर्गत अवस्थित है। मौजा गोबरहप्पा के खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि पंजी II के भाग संख्या 1 के पेज संख्या 170 में कालीराम सिंह पिता पाचु सिंह के नाम से दर्ज है एवं पंजी II के कैफियत कॉलम में दाखिल खारिज केश नं० दर्ज नहीं है।

2. आवेदित खाता संख्या 2 के संबंध में कोई नामांतरण नहीं हुआ है।

3. आवेदित खाता संख्या 2 के संबंध में कोई नामांतरण नहीं हुआ है।

4. मौजा गोबरहप्पा के हल्का कर्मचारी गुरुवा सिंह मुण्डा एवं अंचल निरीक्षक बासुकीनाथ टुडू है। जो माह सितम्बर से पदस्थापित है।

5. इस संबंध में अंचल कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौजा गोबरहप्पा के पंजी II के भाग संख्या 1 के पेज संख्या 170 में रसीद संख्या 0338648 दिनांक 08.03.2004 वर्ष 2003-04 एवं रसीद संख्या 319673 दिनांक 16.09.2006 वर्ष 2006-07 को निर्गत है। रजिस्टर IIIA वर्ष 2006-07 से मिलान किया जिसमें रसीद संख्या 319673 दिनांक 16.09.2006 को निर्गत है। मौजा उलातु के सुखनाथ साहु वगैरह के नाम से निर्गत है एवं रसीद संख्या 0338648 वर्ष 2003-04 दिनांक 08.03.2004 भण्डार पंजी से मिलान नहीं हो पाया। उक्त के आलोक में प्रहलाद नारायण पाण्डेय वो ध्रुव नारायण पाण्डे एवं जितेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। जिसका केश नं० 125/21 दिनांक 06.10.2021 है।

6. मौजा गोबरहप्पा के राजस्व पंजी II के भाग संख्या 1 पेज संख्या 112 में रामेश्वर बैठा पिता मोहन बैठा के नाम से खाता संख्या 2 प्लॉट संख्या 114 रकबा 15 डीसमील भूमि दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या- 3328R27/08-09 दर्ज है।


7. मौजा गोबरहप्पा के राजस्व पंजी II के भाग संख्या 1 पेज संख्या 122 में भोलानाथ महतो वगैरह पिता स्व० शिवलाल महतो के नाम से खाता संख्या 2 प्लॉट संख्या 111 रकबा 10.5 डीसमील भूमि दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 551R27/2009-10 दर्ज है।


8. मौजा गोबरहप्पा के राजस्व पंजी II के भाग संख्या 1 पेज संख्या 170 में कालीराम सिंह पिता पाचु सिंह के नाम से खाता संख्या 2 कुल रकबा 3.92 एकड़ भूमि दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में जमाबंदी कायम होने का कोई आधार दर्ज नहीं है। जिससे

यह जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आवेदक के दादा अधबटाई में खेती करवाते थे एवं अनाज ले जाया करते थे। उनके मृत्यु के उपरान्त तीनों भाई उक्त जमीन पर काबीज हैं।


अपर नगर आयुक्त बनारसी के पत्रांक 04/अ०न०आ०/2023 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि श्री काली प्रसाद वल्द विन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय कि मृत्यु 26.07.1941 में ही हो गई है, तो किस परिस्थिति में मृत व्यक्ति के द्वारा वर्ष 1945 में आवेदित भूमि को बिक्री कर दी गई है, जो नियमतः गलत है।

अतः काली सिंह पिता स्व० पाचु सिंह के नाम से संधारित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।


अंचल अमीन,
काँके, राँची।


अंचल अमीन,
काँके, राँची।

विश्वासभाजन


राजस्व उप निरीक्षक,
हल्का संख्या VII
अंचल कार्यालय, काँके।